



कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
 Employees' Provident Fund Organisation
 (श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)
 (MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT, GOVERNMENT OF INDIA)
 मुख्य कार्यालय/Head Office
 भविष्य निधि भवन, 14, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066
 Bhavishya Nidhi Bhawan, 14, Bhikaiji Cama Place, New Delhi-110066
 वेबसाइट/Website: www.epfindia.gov.in. www.epfindia.nic.in



संख्या : परीक्षा.5(3)2017/273/302

दिनांक: 12.1.2018

सेवा में,

02 FEB 2018

सभी अपर केन्द्रीय भ.नि. आयुक्त (आंचलिक कार्यालय),
 सभी क्षेत्रीय भ.नि. आयुक्त-
 क्षेत्रीय कार्यालयों के प्रभारी,
 अ.के.भ.नि.आ. /क्षे.भ.नि.आ.(प्र.से.प्र.), मुख्यालय

विषय: प्रवर्तन अधिकारी/लेखा अधिकारी (प्र.अ./ले.अ.) के पद पर पदोन्नति हेतु दिनांक 13 एवं 14 नवम्बर, 2017 को आयोजित सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के परिणाम की घोषणा के संबंध में।

संदर्भ:- परीक्षा.5(3)2017/2 दिनांक 03.01.2018(वेबसाइट परिपत्र संख्या 578)

महोदय,

कर्मचारी भविष्य निधि प्रवर्तन अधिकारी/लेखा अधिकारी विभागीय प्रतियोगी परीक्षा योजना, 2016 के खंड 6 में प्रावधान है कि ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें 13 एवं 14 नवम्बर, 2017 को आयोजित परीक्षा में चयनित किया गया है को, उस पद पर जिसके लिए उसमें चयनित किया गया है, पदोन्नति हेतु विचार करने से पूर्व समय समय पर निर्धारित कंप्यूटर दक्षता टेस्ट उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। इस टेस्ट में असफल रहने पर अभ्यर्थी पदोन्नति के लिए अपात्र होगा चाहे उसका नाम उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की मेरिट सूची में हो अथवा प्रतीक्षा सूची में तथा उसके नाम को विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा अनुशंसित किया गया हो।

2. इस संबंध में, भर्ती के समय या पदोन्नति पर अभ्यर्थियों को पहले से ही कंप्यूटर कुशलता टेस्ट में अर्हता प्राप्त करना चाहिए। अतः ऐसे सभी मामलों में, कंप्यूटर कुशलता परीक्षा आयोजित करने की आवश्यकता नहीं है। तथापि, पदोन्नति आदेश जारी करने से पहले संबद्ध अभ्यर्थी ने कंप्यूटर कुशलता टेस्ट में अर्हता प्राप्त किया है, इस तथ्य को उक्त अभ्यर्थी की सेवा पुस्तिका की प्रविष्टियों से सत्यापित करना चाहिए तथा इस आशय के लिए तत्काल एक प्रमाण पत्र अग्रेषित किया जाए, ताकि पदोन्नति के लिए ऐसे अभ्यर्थियों की पात्रता पर मुख्यालय द्वारा विचार किया जा सके।

(सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी)

भवदीय

संलग्न : यथोपरि

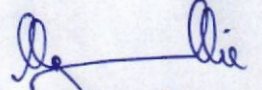
—sdr—

(के.वी. सर्वेश्वरन)

अपर केंद्रीय भ.नि. आयुक्त (मुख्या.) (मा.सं.)

प्रतिलिपि:-

1. सभी अपर के.भ.नि.आ./वि.सल. एवं मु. ले.अ./निदेशक, पी.डी.एन.ए.एस.एस. एवं सभी आंचलिक प्रशिक्षण संस्थान।
2. क्षेत्र.भ.नि.आ.-I (मा.सं.प्र.), मुख्यालय एवं क्षेत्र.भ.नि.आ.-II (मा.सं.प्र. VII)
3. केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त के निजी सचिव।
4. क्षेत्र.भ.नि.आ. (एन.डी.सी.) को वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।
5. महासचिव, अ.भा.क.भ.नि. स्टाफ फेडरेशन एवं महासचिव अ.भा.क.भ.नि. अनु.जा/अनु.ज.जा. स्टाफ फेडरेशन।
6. गार्ड फाईल।


(एस. नुल्ली)

क्षेत्रीय भ.नि. आयुक्त (परीक्षा)